

No. No. F.1/129(42)/2021-R.1
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
RECRUITMENT-1 SECTION

पद का नाम:	वरिष्ठ व्याख्याता (हड्डी रोग)
विज्ञापन संख्या:	14/2022
भर्ती मामला रिक्ति संख्या	22071405123
साक्षात्कार की तिथि	बाद में घोषित किया जाएगा

आवश्यक योग्यताएं (ईक्यू):

ए.शैक्षिक

(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अनुसूचियों में से किसी एक में शामिल एक बुनियादी विश्वविद्यालय या समकक्ष योग्यता और एक राज्य चिकित्सा रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत होना चाहिए।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान या समकक्ष से एम.एस. (ऑर्थोपेडिक्स)।

बी अनुभव: -

एक मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज / शिक्षण संस्थान में लेक्चरर / रजिस्ट्रार / सीनियर रेजिडेंट / डेमोंस्ट्रेटर / ट्यूटर के रूप में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषता में तीन साल का शिक्षण अनुभव।
नोट- अन्यथा अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, आयोग के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है।

तौर-तरीके:

- (i) पीएस ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा भरी गई जानकारी और ओआरए के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों/प्रमाणपत्र के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा तैयार की गई स्क्रीन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
- (ii) विज्ञापन में आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी प्रमाणपत्र/दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा गया था; हालाँकि, कई आवेदनों ने पूर्ण प्रमाणपत्र/दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं।
- (iii) अनुभव की गणना करते समय अंशकालिक/प्रति घंटा/दैनिक वेतन/मुलाकात/अतिथि दोषपूर्ण/प्रशिक्षु/प्रशिक्षु/जीईटी/परामर्शदाता/मानद/स्व-नियोजित और वजीफा के रूप में आवश्यक अनुभव की गणना नहीं की गई है। संबंधित क्षेत्र में अनुबंध के आधार पर अनुभव पर विचार किया गया है।

अनारक्षित श्रेणी के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग मानदंड: EQA (i) + EQA (ii) + EQ(B).

ऑनलाइन भर्ती आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की जांच के आधार पर, निम्नलिखित आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए शॉर्ट-लिस्ट किया गया है:

वर्ग	लघु-सूचीबद्ध आवेदक
अनुसूचित जाति	अनुक्रमांक- 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14 & 16 =12 उम्मीदवार।

निम्नलिखित आवेदनों को निम्नानुसार खारिज कर दिया गया है:

अस्वीकृति का कारण	अनुक्रमांक
(i) उम्मीदवारों को अधूरी श्रेणी के तहत खारिज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने हमारे सीएफडी पत्रों का जवाब नहीं दिया।	अनुक्रमांक. 01 & 15 =02 उम्मीदवार।
(ii) शेष उम्मीदवारों को एलईक्यू (बी) के तहत खारिज कर दिया गया।	अनुक्रमांक. 02 & 13 =02 उम्मीदवार।

आवेदन किए गए उम्मीदवारों की सूची अनुलग्नक 'ए' पर है।

(अमरीश कुमार)
उप सचिव/(आर.1)

उम्मीदवारों के लिए निर्देश

ऐसे उम्मीदवार जो उक्त पद के लिए लघुसूचिबद्ध किये जाने के प्रयोजनार्थ अपनाये गए मानदंडों तथा मापदंडो के आधार पर अपनी अस्वीकृति के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों वे मुख्या आधार/कारण बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक 25.03.2023 तक sort1.upsc@nic.in पर प्रस्तुत कर दें। इस तिथि के बाद प्राप्त मेल नहीं खोले जाएंगे। प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनो की जाँच की जायेगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/ कारण, अपनाये गए मानदंडों तथा मापदंडो के अनुरूप सही पाए गए ,तो ऐसे आवेदनो को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनो की अस्वीकृति बरकरार रहेगा। तत्पश्चात, यदि संवीक्षा सम्बन्धी विवरण में कोई परिवर्तन हुआ, तो संशोधित और अद्यतन विवरण अपलोड किये जायेंगे । इनमें से किसी भी मेल का कोई व्यक्तिगत उत्तर नहीं दिया जाएगा।

उप सचिव/(आर.1)
संघ लोक सेवा आयोग